रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 475] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 13, 2018/आषाढ़ 22, 1940
No. 475] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 13, 2018/ASHADHA 22, 1940

IndiaCode

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2018

सा.का.नि. 644(**अ**).—केन्द्रीय सरकार, आयुद्ध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुद्ध नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयुद्ध (दूसरा संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आयुद्ध नियम, 2016 में,–

(क) उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(2) प्रत्येक अनुज्ञापन प्राधिकारी और नवीकरण प्राधिकारी एनडीएएल प्रणाली में भी ऐसा डाटा प्रविष्ट करेगा जो विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) सृजित करेगा और 1 अप्रैल, 2019 से, विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) के बिना कोई आयुद्ध अनुज्ञप्ति अविधिमान्य समझी जाएगी ।";

(ख) उपनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(4) कोई विद्यान अनुज्ञप्तिधारी, जो प्ररूप-3 में बहु अनुज्ञप्तियां रखता है, 1 अप्रैल, 2019 को या उससे पहले उसके द्वारा धारित सभी अग्नायुद्धों के सम्बन्ध में अपनी विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) के अधीन एकल अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए सम्बन्धित अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन करेगा :

परंतु जहां अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट आयुद्ध या गोला-बारूद के निर्बंधित प्रवर्ग की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने वाला आवेदक उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट आयुद्ध या गोला-बारूद के अनुज्ञेय प्रवर्ग के लिए अनुज्ञप्ति का भी धारक है ; या जहां आवेदक, जो आयुद्ध या बारूद के अनुज्ञेय प्रवर्ग के लिए आवेदन करता है, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट निर्बंधित प्रवर्ग या आयुद्ध या गोला-बारूद के लिए अनुज्ञप्ति का धारक भी है, वहां सम्बन्धित अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारी के विद्यमान विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) के अधीन आयुद्ध या गोला-बारूद के ऐसे निर्बंधित या अनुज्ञेय प्रवर्ग के लिए, जो भी लागू हो, नई अनुज्ञप्ति जारी करेगा ;

परंतु यह और कि पृथक अनुज्ञप्ति पुस्तिकाएं प्ररूप-2, प्ररूप-3 और प्ररूप-4 में प्रत्येक अनुज्ञप्ति के मामले में सृजित की जाएंगी और प्ररूप-3 में किसी अनुज्ञप्ति की दशा में, एकल विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) के अधीन तीन अग्नायुद्धों की समग्र सीमा सहित अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट आयुद्ध और गोला-बारूद के निर्बंधित और अनुज्ञेय प्रवर्गों के लिए पृथक रूप से अनुज्ञप्ति पुस्तिका सृजित की जाएगी ।";

[फा. सं. वी-11026/133/2017-आयुद्ध]

एस. सी. एल. दास, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 701(अ), तारीख 15 जुलाई, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उन्हें सा.का.नि. 1468(अ), तारीख 28 नवम्बर, 2017 और सा.का.नि. 624(अ), दिनांक 11 जुलाई, 2018 द्वारा संशोधित किया गया ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2018

G.S.R. 644(E).—In exercise of the powers conferred by section 44 of the Arms Act, 1959 (54 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Arms Rules, 2016, namely:-

1. These rules may be called the Arms (Second Amendment) Rules, 2018.

2. In the Arms Rules, 2016,-

(a) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) Every licensing authority and the renewing authority shall also enter such data in the NDAL system which shall generate a unique identification number (UIN) and with effect from the 1st day of April, 2019, any arms license without UIN shall be considered invalid.";

(b) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(4) Any existing licensee holding multiple licenses in Form III shall on or before the 1st day of April, 2019, make an application for grant of a single license in respect of all the firearms held by him under his UIN, to the concerned licensing authority:

Provided that where the applicant applying a license for restricted category of arms or ammunition specified in Schedule I is also a holder of a licence for permissible category of arms or ammunition specified in the said Schedule; or where the applicant, applying for permissible category of arms or ammunition is also a holder of a licence for restricted category or arms or ammunition specified in the said Schedule, the licensing authority concerned shall issue a new licence for such restricted or permissible category of arms or ammunition, as may be applicable, under the existing UIN of the licensee;

Provided further that separate licence books shall be generated in case of each licence in Form II, Form III and Form IV and in case of a licence in Form III, separately for restricted and permissible categories of arms and ammunition specified in Schedule I, with an over all ceiling of three firearms under a single UIN".

[F. No. V-11026/133/2017-Arms]

S. C. L. DAS, Jt. Secy.

Note : Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 15th July, 2016 *vide* G.S.R. 701(E), dated the 15th July, 2016 and subsequently amended *vide* G.S.R. 1468(E), dated the 28th November, 2017 and G.S.R. 624(E), dated 11th July, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.07.13 22:25:25 +05'30'